




51




समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर
इं/अपील/जबलपुर/भूरा/2018/0149
राजस्व अपील क्र. /2017-18

485

अपीलार्थी

खजांची वेयर हाउस एवं लाजिस्टिक
604, कोतवाली बाजार, जबलपुर
द्वारा - पार्टनर श्री गिरीश अग्रवाल
एवं श्री मनीष अग्रवाल दोनो पुत्र
श्री रतन चंद अग्रवाल
दोनो निवासी म.नं. 663, सरदार
वल्लभ भाई पटेल वार्ड,
कोतवाली बाजार, जबलपुर



प्रत्यार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर
जबलपुर

(माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय जबलपुर सम्भाग
जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र. 258/बी- 105 / अपील / 2015-16 में
पक्षकार मेसर्स खजांची वेयर हाउस विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन में पारित
आदेश पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 जो कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा
प्रकरण क 214 / बी / 105 / 47 / (क) (1) आदेश दिनांक 29.11.2005
में पारित आदेश से उत्पन्न)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 44 (1) (बी) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी/अनावेदक माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर
महोदय जबलपुर सम्भाग जिला जबलपुर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.
2017 से व्यथित होकर यह अपील निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत
करता है :-

अपील के तथ्य


1. यह कि, अपीलार्थी/अनावेदक को कार्यालय जिला पंजीयक एवं माननीय
न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्प जबलपुर से प्राप्त सचना पत्र के पश्चात
उसके द्वारा उपरोक्त न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 20.11.2015
को लिखित में प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार अपीलार्थी/अनावेदक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/जबलपुर/भू.रा./2018/0149

जिला - जबलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/04/2018	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, किंतु फिर भी कोई उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	